भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2331

दिनांक 09 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

किफायती चिकित्सा उपकरण

2331. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री एस.सी. उदासी:
श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इसकी 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत किफायती चिकित्सा उपकरणों, बल्क ड्रग्स और भेषजों के देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी नीतियों और योजनाओं से भारत के किफायती जेनेरिक दवाओं और चिक्त्सा उपकरण क्षेत्रक को किस हद तक बढ़ावा मिला है;

(ग) देश के निर्यात में किफायती जेनेरिक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत के भेषज बाजार के वर्ष 2030 तक बढ़कर 130 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर पहुंचने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो देश की वृद्धि संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस क्षेत्रक में वर्ष 2030 तक बढ़ने वाले रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार अपनी 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत सस्ते उपकरणों, बल्क औषधियों और औषधों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। औषध विभाग ने हाल ही में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए निम्नलिखित दो योजनाओं का शुभारंभ किया है:

i. **चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना:** इस योजना को 20 मार्च, 2020 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश 29.10.2020 को जारी किए गए हैं। यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू है और इसका इरादा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने का है। इस योजना के तहत, चयनित कंपनियों को भारत में विनिर्मित और योजना के लक्ष्य खंडों के तहत कवर किए गए चिकित्सा उपकरणों की 5% की वृद्धिशील बिक्री की दर से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2027-28 तक है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,420 करोड़ रुपए है। यह योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

ii. **चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन:** परीक्षण और प्रयोगशाला सुविधाओं के सृजन के लिए उच्च स्तर के निवेश की आवश्यकता की पहचान करते हुए, इस योजना को भारत सरकार द्वारा 20 मार्च 2020 को अनुमोदित किया गया। ये पार्क विनिर्माण लागत को विशिष्ट रूप से कम करते हुए एक ही स्थान पर सामान्य परीक्षण और प्रयोगशाला सुविधाएं / केंद्र प्रदान करेंगे और देश में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने में सहयोग करेंगे। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपए है। इस योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक है। चयनित चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए वित्तीय सहायता साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की परियोजना लागत का 70% होगी। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश) के मामले में वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 90% होगी। एक चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए इस योजना के तहत अधिकतम सहायता 100 करोड़ रुपए तक सीमित होगी। यह योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

साथ ही, औषध विभाग ने औषध क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करके महत्वपूर्ण केएसएम/ औषधि मध्यवर्ती और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में निम्नलिखित तीन योजनाओं को शुरू किया है ताकि इनकी निरन्तर घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित हो और जिससे भारत की महत्वपूर्ण केएसएम/औषधि मध्यवर्ती और एपीआई के लिए अन्य देशों पर आयात निर्भरता कम हो सके:

(i) **भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारम्भिक सामग्रियों (केएसएम) / औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** इस योजना के अन्तर्गत, निम्नलिखित चार लक्ष्य क्षेत्रों के तहत 41 पात्र उत्पादों के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है:

i. किण्वन आधारित केएसएम/ड्रग इंटरमीडिएट
ii. किण्वन आधारित आला केएसएम/ड्रग इंटरमीडिएट/एपीआई

iii. महत्वपूर्ण रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/ड्रग इंटरमीडिएट
iv. अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/ड्रग इंटरमीडिएट/एपीआई

वृद्धिशील बिक्री के लिए चयनित भागीदारों को 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कुल परिव्यय 6,940 करोड़ रुपए है।

ii **बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन संबंधी योजना:** तीन बल्क औषधि पार्कों को साझी अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के सृजन के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रति पार्क की अधिकतम सीमा अथवा सीआईएफ की परियोजना लागत का 70 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों एवं पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र) के मामले में, वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगी। इस योजना का कुल आकार 3000 करोड़ रुपए है और योजना की अवधि पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) की होगी।

iii. **औषध संबंधी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 24.02.2021 की अपनी बैठक में औषध संबंधी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन में वृद्धि करके तथा औषध क्षेत्र में उच्च स्तरीय सामग्रियों में उत्पाद विविधीकरण में योगदान करके भारत की विनिर्माण क्षमताओं को उन्नत करना है। इस योजना का एक और उद्देश्य भारत में से वैश्विक विजेताओं को सृजित करना है जो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके आकार और पैमाने में वृद्धि करने की क्षमता रखते हों और जिससे वे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करें। इस योजना का परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है और औषध सामग्रियों की तीन श्रेणियों को उनकी वृद्धिशील बिक्री के आधार पर इस योजना के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से 2028-29 तक होगा। इस योजना को भारत के राजपत्र में 03.03.2021 को अधिसूचित किया गया है।

(ग): जेनेरिक निर्यातों का ब्यौरा इस प्रकार है:

भारत का जेनेरिक फार्मा निर्यात अमरीकी मिलियन डॉलर				
श्रेणी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रैल-दिसंबर)
औषधि फॉर्मूलेशन (जेनेरिक)	12900.28	14368.65	15811.24	13966.85

भारत का चिकित्सा उपकरण निर्यात अमरीकी मिलियन डॉलर				
श्रेणी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रैल-दिसंबर)
चिकित्सा उपकरण	1868.05	2138.14	2292.87	1549.89

(घ): वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, औषध क्षेत्र के वर्ष 2030 तक 120-130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।

(ङ): देश के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए औषध विभाग ने निम्नलिखित तीन योजनाओं को शुरू किया है:

i. भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारम्भिक सामग्रियों (केएसएम) / औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
ii. बल्क औषधि पार्कों का संवर्धन
iii. औषध संबंधी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

(च): विभाग की औद्योगिक संवर्धन योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2030 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है।

*****